

15/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उभय वकील
 प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि उनवानी प्रमाण से
 संबंधित प्रमाण जो ADM कोर्ट nmc में जैलवार
 को राजहम रंगल अजमेर के निर्णय दिनांक
 5/11/22 से आतिरनेत जिला कलेक्टर करौली
 के न्यायालय को हथाना हारि की जा चुकी है।
 एलाकी प्रार्थी को उभय प्रमाण में कोई कार्रवाई
 नहीं-पाहता है तथा प्राणपत्र को मजत प्रेश करना
 पाहता है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर मुहसिबी
 प्राणपत्र मजत प्रेश में खारिज छिदा जाता है।
 पत्रावली केवल शुभारंभ में नमूना से कम हो
 एवं वह नकली दालिल हाथिकेव की जावे।
 दावेत बुनाफा मया।

नोट
 (1/1)

✍

